कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर (राज.)

:: आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती वर्ष 2022 के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांकः शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021–22/दिनांक–02-09-2023 व दिनांक 07.09.2023 एवं 08.09.2023 के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थियों (गैर अनुसूचित क्षैत्र) को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने पर दिनांक 08.09.2023 को स्थानीय कार्यालय में आयाजित परामर्श शिविर में सहमति के आधार पर एवं **श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 26.09.2023 द्वारा अभ्यर्थियों के विशेष विवरण कॉलम में ONLY COUNSELLING वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रशैक्षणिक/खेल दस्तावेजों की संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था से Genuine रिपोर्ट प्राप्त होने एवं नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के निर्देश प्रदान करने पर** संलग्न सूची में विवरणांकित पात्र अभ्यर्थियो को **तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक शिक्षा अध्यापक** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (प्ररिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्राबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ. **12** (6) एफ.डी.नियम/**05** दिनांक **13-03-2006** एवं एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017/जयपुर दि. **30-10-2017** के रूल्स 16 शेडयूल IV के प्रावधानानुसार वेतन **लेवल–10** में **नियत मानदेय रू. 23700**/–(अक्षरे तेईस हजार सात सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन, नियत पारिश्रमिक के रूप में देय होगा। परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन,बोनस आदि देय नहीं होगा।

सम्बंधित संस्था प्रधान/पीईईओ इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें । सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरित टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावें । पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगें, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे। जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नही पाये जाने पर उक्त के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/ के बिना

Signature valid

Digitally signed by Bheja Ram
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.01 15:13:48 IST
Reason: Approved

कार्यग्रहण करवाया जाता है तो कार्यग्रहण करवाने वाने संस्था प्रधान/पीईईओ के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08-04-2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें ।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें ।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
5. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजो का मिलान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित छाया प्रतियो के दो सेट प्राप्त करे एवं 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि– ''यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पायी गयी तो इन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में मेरी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।''
6. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेगी।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में शैक्षणिक वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–12(9)एफ.डी(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
9. राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैद्यता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन नियुक्ति प्रदान की जा रही है। इस नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे कि– ''यदि इनकी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता सक्षम स्तर से मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं होने अथवा किसी भी स्तर पर जांच में अमान्य पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव निरस्त की जा सकेगी।''
10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित अभ्यर्थियो हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो। यदि किसी भी स्तर पर जांच में नियुक्ति उपरान्त भी यह प्रमाण पत्र अमान्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

Signature valid

Digitally signed by Bhera Ram
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.01 15:13:48 IST
Reason: Approved

11. अन्य पिछडा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियुमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागु नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमीलेयर का नही होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रीम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवावे।
12. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। आरक्षित वर्ग की समस्त महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के अधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा।
13. कार्मिक क–2 विभाग के परिपत्र दिनांक 21.05.2019 के अनुसार " भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यदि उसका सेवानिवृति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सेवानिवृति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, की तिथि तक सेवानिवृति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृति का प्रमाण पत्र माना जायेगा। इस श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी को **संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित कार्मिक का सेवानिवृति आदेश प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करेंगे।**
14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04-10-2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
15. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13) कार्मिक/क–2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवाभिलेख में संकलित किया जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 20.10.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने अभ्यर्थियों पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के मूल आवेदन संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ द्वारा इस कार्यालय को वाहक स्तर पर पुनः लौटाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों की उक्त नियुक्ति माननीय न्यायालयो में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

सलग्न सूची –02 अभ्यर्थी

(भेराराम)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक,जालोर

Signature valid

Digitally signed by Bhera Ram
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.01 15:13:48 IST
Reason: Approved

क्रमांकःजिशिअ / मुख्या / मा / जालोर / संस्था / सीभ पीईटी–22 / 2023 / 275 दिनांकः 01.10.2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग पाली मण्डल,पाली।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जालोर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक,जालोर
9. सबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला–जालोर को प्रेषित कर लेख है कि आपके ब्लॉक में नियुक्त अभ्यर्थियों के निदेशालय द्वारा प्राप्त मूल आवेदन पत्र वाहक स्तर पर स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर संबंधित पीईईओ / संस्था प्रधानों को अभ्यर्थी के कार्यग्रहण से पूर्व तत्काल सुपुर्द करे।
10. सम्बंधित प्रधानाचार्य / पीईईओ / ....
11. सम्बंधित आशार्थी...
12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / विभागीय वेबसाईट
13. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक,जालोर

Signature valid

Digitally signed by Bhera Ram
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.01 15:13:48 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,जालोर

क्रमांकःजिशिअ/मुख्या/मा/जालोर/संस्था/सीभ पीईटी–22/2023/275 दिनांकः 01.10.2023

Sr NO	ROLLNO	वरियता श्रेणी	NEW RANK	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT	विकल्प द्वारा चयनित विद्यालय का नाम	ब्लॉक	
1	710842	सामान्य पुरूष	1422	RAJARAM BENIWAL	RAMESHWAR LAL BENIWAL	08-Sep-97	Male	OBC	—	GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL RESHMA KI DHANI ALASAN (502590) (08180301104)	SAYLA	
2	708712	सामान्य पुरूष	5148	REWAT RAM MEGHWAL	MASRA RAM	10-Oct-00	Male	SC	—	SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHORDA (221085) (08180106315)	AHORE	

(भेराराम)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक,जालोर

Signature valid
Digitally signed by Bhera Ram
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.01 15:13:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4819801